फार्म बी.एम.-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिये आवेदन

(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखे)

वित्तीय वर्ष 2025-26

अनुदान संख्या व नाम : 43-परिवहन विभाग (धनराशि लाख रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा

लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) **(पूंजीगत पक्ष)**	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग
1	2	3	4	5	6
5055-00-800-03 5055-सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय 800-अन्य व्यय 03-परिवहन आयुक्त कार्यालय 14-मोटर गाड़ियों का क्रय	84.00	16.99102	16.99102	16.99000	67.01
योग-	**84.00**	**16.99102**	**16.99102**	**16.99000**	**67.01**

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा

(धनराशि लाख रूपये में)

लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) **(पूंजीगत पक्ष)** अनुदान संख्या-43	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में कुल प्रत्याशित व्यय	संक्रमण हेतु प्रत्याशित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
4059-01-051-21 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय 01-कार्यालय भवन 051-निर्माण 21-परिक्षेत्रीय/संभागीय/सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालयों-बरेली, गाजीपुर, फर्रुखाबाद, हापुड, सम्भल, जौनपुर, चित्रकूट व चदौली में सारथी हाल सहित कार्यालय भवन का निर्माण 24-वृहद निर्माण कार्य	4400.00	4416.99102	16.99102	16.99000	4416.99000
योग -	**4400.00**	**4416.99102**	**16.99102**	**16.99000**	**4416.99000**

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(1) बचत के कारण निम्नानुसार हैः-

वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूँजीगत पक्ष के लेखाशीर्ष 5055-सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय 800-अन्य व्यय 03-परिवहन आयुक्त कार्यालय 14-मोटर गाड़ियों का क्रय में धनराशि रू0 84.00 लाख का प्रावधान स्वीकृत है, जिसके सापेक्ष धनराशि रू0 67.00898 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासन के पत्र दिनांक 08 जनवरी, 2026 द्वारा निर्गत की गयी है।

वाहनों के निष्प्रयोज्य होने की दशा में वाहनों की नीलामी कराने के उपरान्त नीलाम किये गये वाहनों के प्रतिस्थापन के माध्यम से नयी गाड़ी क्रय करने की कार्यवाही की जाती है। वर्तमान में विभाग के पास निष्प्रयोज्य किये जाने योग्य वाहनों की उपलब्धता न होने के कारण उक्त मद में धनराशि रू0 16.99102 लाख की बचत सम्भावित है।

(2) व्यायाधिक्य के कारण निम्नानुसार हैं :-

चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 पूँजीगत पक्ष के लेखाशीर्ष 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय 01-कार्यालय भवन 051-निर्माण 21-परिक्षेत्रीय/संभागीय/सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालयों- बरेली, गाजीपुर, फर्रुखाबाद, हापुड, सम्भल, जौनपुर, चित्रकूट व चदौली में सारथी हाल सहित कार्यालय भवन का निर्माण 24-वृहद निर्माण कार्य में धनराशि रू० 3000.00 लाख का मूल प्रावधान है एवं धनराशि रू० 1400.00 लाख का पुनर्विनियोग कराया गया है। इस प्रकार पुनर्विनियोग के उपरान्त कुल विनियोग की धनराशि रू0 4400.00 लाख के सापेक्ष 4227.67 लाख का व्यय हो चुका है। तथा उक्त मद में अवशेष धनराशि रू0 172.33 लाख जनपद चित्रकूट में सारथी हाल सहित कार्यालय भवन के निर्माण हेतु प्रथम किश्त के रूप प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की कार्यवाही अन्य पत्रावली में वित्त विभाग के माध्यम से की जा रही है। अतः जनपद चित्रकूट हेतु प्रथम किश्त की धनराशि रू0 172.33 लाख निर्गत किये जाने के उपरांत संबंधित मद में धनराशि अवशेष नहीं रह जायेगी। उक्त के अतिरिक्त जनपद फर्रुखाबाद के सारथी हाल हेतु अवशेष धनराशि रू0 483.065 लाख की वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित है, जिसके सम्बन्ध में कार्यवाही पुनार्विनियोग हेतु उक्त प्रस्तावित धनराशि रू0 16.99102 लाख का सम्बंधित मद में पुनार्विनियोजित होने के उपरांत की जाएगी। इस प्रकार परिवहन विभाग के पूंजीगत पक्ष के लेखाशीर्ष 5055-00-800-03 के मानक मद-14-मोटर गाडियाँ का क्रय में अवशेष/संभावित बचत की धनराशि रू0 16.99102 लाख को पूंजीगत मद के ही लेखाशीर्ष 4059-01-051-21-के मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य में पुनर्विनियोग कराये जाने की आवश्यकता है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्ध/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

आर0ई0 संख्या-बजट-1-433, दिनांक 06-03-2026

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

ह0/-
(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव,
परिवहन विभाग।

ह0/-
(सिद्धार्थ श्रीवास्तव)
अपर निदेशक,
वित्त विभाग,
उ०प्र०शासन।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-36/2026/471/तीस-3-2026 दिनॉक 11 मार्च, 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस शर्त के साथ प्रेषित कि जिस मानक मद से पुनर्विनियोग का प्रस्ताव किया गया है, उसी मानक मद में चालू वित्तीय वर्ष में धनराशि के पुनर्विनियोग का प्रस्ताव नहीं किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस मानक मद में धनराशि का पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस धनराशि का चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा।

4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

5- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ ।

6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9

7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (03 प्रतियों में)।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0/-

(के0पी0 सिंह)

विशेष सचिव,

परिवहन विभाग।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।